Lyceum India Journal of Social Sciences || ISSN (Online): 3048-6513
Volume: 3 Issue: 7 || May 2026 || DOI: 10.5281/zenodo.20391433

भारत में पंचायती राज व्यवस्था

न्याज अहमद खां[1]

सारांशः

भारत में पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और ग्रामीण विकास की आधारभूत संस्था के रूप में विकसित हुई है। इसकी जड़ें भारतीय इतिहास की प्राचीन ग्राम-व्यवस्था में दिखाई देती हैं, जहाँ पंचायतें स्थानीय प्रशासनए सामाजिक विवादों के समाधान तथा सामुदायिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। स्वतंत्रता के पश्चात् लोकतांत्रिक शासन को जमीनी स्तर तक पहुँचाने के उद्देश्य से पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्गठित करने के प्रयास किए गए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सीमाओं के पश्चात् बलवंत राय मेहता समितिए अशोक मेहता समितिए जी. वी. के. राव समितिए एल. एम. सिंघवी समिति तथा पी. के. थुंगन समिति जैसी विभिन्न समितियों ने पंचायती राज संस्थाओं को अधिक प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। इन प्रयासों का निर्णायक परिणाम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के रूप में सामने आया, जिसके माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और संविधान में भाग-9 तथा ग्यारहवीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के रूप में त्रिस्तरीय स्थानीय शासन की संरचना विकसित की गई। प्रस्तुत लेख में पंचायती राज व्यवस्था के ऐतिहासिक विकासए संवैधानिक आधार, संगठनात्मक संरचना, कार्य एवं शक्तियों तथा वित्तीय स्रोतों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही, ग्रामीण विकास, जनभागीदारी, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को रेखांकित किया गया है। अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के समावेशी और सतत विकास तथा लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं का प्रभावी, उत्तरदायी और सशक्त होना आवश्यक है।

प्रमुख शब्दः पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ग्राम पंचायत, ग्रामीण विकास

ऐतिहाासिक पृष्ठभूमि

भारत मुख्य रूप से गॉवों की भूमि है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। इस प्रकार भारत में ग्रामीण क्षेत्र से ही सत्ता का आधार तैयार होता है। महात्मा गॉधी भी यही करते थे कि ''भारत वास्तव में गॉवों में बसता है।'' भारत में हमारे पास ग्राम स्तर पर शासन के लिए एक अद्धभुत प्रणाली है जिसे पंचायती राज संस्था कहा जाता है। भारत में पंचायती वयवस्था कुछ दशकों पुरानी न होकर सदियों पुरानी हैं। प्राचीन काल से ही भारत में पंचायतों को असीमित स्वतंत्रता प्राप्त थी। ग्रामों की पंचायतों व संस्थायें भारत में सर्वप्रथम प्रारम्भ हुई और

[1] शोध छात्र, सी0 एम0 जे0 विश्वविद्यालय, मेघालय

संसार के सभी देशों के मुकाबले यहॉ ही सबसे अधिक समय तक स्थापित रही। पॉच पंच ग्राम की जनता द्वारा निर्वाचित होते थे, जिसके माध्यम से भारत के असंख्य ग्राम लोकराज्यों का शासन चलता था

भारतीय समाज में पंच परमेश्वर न केवल कुछ प्रशासकीय कार्य ही करते थे वरन आपसी विवादों को हल करने व विकास सम्बन्धी कार्यों का करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। पंचायत शब्द हिन्दी भाषा में बहुत समय से प्रयुक्त हो रहा है। संस्कृत में एक पंचायत शब्द है जिसका व्यवहार देवपूजन के समय किया जाता है। प्रतीत होता है कि यह पंचायती इसी पंचायत से सम्बन्ध रखता है। पंचायत एक सर्वमान्य संस्था के रूप में प्राचीन काल से ही भारतीय जनमानस में अधिष्ठत रही है। हमारी और सभ्यता की भांति ही पंचायत और पंचायती राज की अतीत काल से एक गौरव शाली परम्परा रही है। वैदिक काल में ग्राम से लेकर राष्ट्र ही नहीं अपितु विश्व की शासन व्यवस्था पंचायत पद्धति पर आधारित थी। भारत में पंचायतों की प्राचीनता के प्रभाव ऋग्वेद तथा अर्थवेद में मिलते हैं।

पंचायत वयवस्था को प्रारम्भ करने का श्रेय राजा पृथु को है। राजा पृथु वेन के पुत्र थे जो सर्वमान्य प्रथम राजा थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पंचायत प्रणाली राजा पृथु ने गंगा और यमुना के मध्य धरातल में स्थापित की थी। वैदिक काल से ही ग्राम को मोलिक इकाई माना जाता रहा है। जातक ग्रन्थ में भी ग्राम सभाओं का वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक काल में भी एक सामूहिक राजनीती इकाई के रूप में ग्राम पंचायत का महत्व रहा है। लघु गण राज्यों के रूप में हिन्दू–मुस्लिम तथा पेशवा शासन काल में ग्रांग पंचायतों का विशेष महत्व रहा है। अर्थवेद (8, 9, 10, 12) के अनुसार ''जन शक्ति उत्क्रामत होकर ग्राम सभा, राष्ट्र समिति और मंत्री मंडल में परिणित हुई। डॉ0 सरयूप्रसाद चौबे ने कहा है आर्यों के भारत में आने से पूर्व यहॉ ग्राम राज्य तथा ग्राम पंचायत का पूर्ण विकास हो गया था पंचायती राज व्यवस्था की उपस्थिति गुगल काल तथा ब्रिटिश काल में भी देखने को मिलती है। ब्रिटिश युग में सरकार किसी भी विकेन्द्रीकरण के पक्ष में नही थी इसलिए 1857 के विद्रोह के बाद वे भारत सरकार अधिनियम–1858 के साथ आये तथा विकेन्द्रीकरण को हटा दिया। 1870 में लार्ड मेयो ने विकेन्द्रकरण की वकालत की लेकिन इसे भी अस्वीकृत कर दिया गया। इसके बाद 1882 में ब्रिटिश शासन में तत्कालीन वायसराय लार्ड रिपन ने स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना का प्रयास किया लेकिन वह सफल नही हो सका। ब्रिटिश शासकों ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं की स्थिति पर जॉच करने तथा उसके सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिए 1970 में शाही आयोग का गठन किया। इस आयोग ने स्वायत्त संस्थाओं के विकास पर बल दिया, लेकिन विभिन्न कारणों से इसे स्वीकार नही किया गया। 1919 के मोंटेंगों चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत डायार्की की शुरूआत के साथ स्थानीय स्व–सरकारों की जिम्मेदारी मंत्रियों को हस्तांतरित कर दी गयी थी। इन मंत्रियों ने पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए कानूनों का सैट बनाया। लेकिन धन की कमी दिखाकर इसके रास्ते में बाधा खडी कर दी गयी। 1920 के दशक के दौरान महात्मा गॉधी ने अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए गॉवों में स्वंय सरकार के लिए एक मजबूत मांग की। उन्होंने अपनी मांग में कहा कि स्वतंत्रता नीचे से प्रारम्भ होनी चाहिए, प्रत्येक गॉव में एक पंचायत या गणतन्त्र होनी चाहिए जिसे पूर्ण शक्तियां प्राप्त हों। पंचायत के पास जितनी शक्तियां अधिक होंगी उतना ही नागरिकों के लिये बेहतर होगा। हालांकि ब्रिटिश सरकार

ने कोई ध्यान नही दिया। अधिनियम 1919 के तहत जो स्थानीय स्व–सरकारों की जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंपी गयी अधिनियम 1935 के तहत उन सभी शक्तियों को वापस ले लिया गया। ध्यान दिया गया था। परन्तु इससे पहले की वह इस दिशा में कुछ भी हांसिल कर पाते, ब्रिटिश सरकार ने लोकप्रिय मंत्रालयों से परामर्श किये बगैर भारत को युद्ध के लिए पार्टी घोषित कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा हुआ। इन घटनाओं ने पंचायतों के पुनरूत्थान के लिए किये गये। आन्दोलन को गंभीर झटका लगा। दूसरे विश्वयुद्ध के तुरंत बाद केन्द्रीय तथा प्रांतीय विधान सभाओं के चुनाव आयोजित किये गय तथा कांग्रेस ने सत्ता में वापिसी की । एक बार फिर पंचायतों के पुनरूत्थान के मुद्दे पर ध्यान दिया। और कई अधिनियम पारित किये। जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तो भारत के एक तिहाई गांवों में परम्परागत पंचायत थी। कांग्रेस सरकार ने पंचायतों के निर्माण को बढ़ावा देने के निश्चित प्रयास किये। भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 की घोषणा की ताकि उन्हें स्थानीय सरकार की प्रभावी इकाईयां प्राप्त हो सकें। पंचायती राज के कार्यान्वन का विषय राज्य सूची में रखा गया था। इसका उद्देश्य विकास प्रयास में ग्रामीणों को शामिल करने और राज्यों पर प्रशासनिक बोझ को कम करने के लिए लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देना था। ग्रामीण पुर्निर्माण के कार्य में लोगों की भागीदारी लिए 1 अक्टूबर 1952 में समुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था। परन्तु गांवों के निर्धन व उपेक्षित लोगों की सहभागिता न होने के कारण असफल हो गया।

आजाद भारत में पंचायती राज व्यवस्था

आधुनिक भारत में प्रथमतया तत्कालीन प्रधानमंत्री प0 जवाहर लाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गॉव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया। 24 अप्रैल 1993 का दिन भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मार्ग चिन्ह था। क्योकि इसी दिन संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इस प्रकार महात्मा गॉधी के स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया गया। भारतीय सवतंत्रता के पश्चात् विभिन्न समितियां थी जिन्होंने भारत राज को उचित संरचना देने के प्रयास किये। वह निम्नलिखित हैं–

1ण बलवन्त राय मेहता समिति –1957

2ण अशोक मेहता समिति– 1977

3ण जी0 वी0 के0 राव समिति– 1985

4ण डॉ0 एल0 एम0 सिन्धवी समिति– 1986

5ण पी0 के0 थुंगन समिति –1988

बलवन्त राय मेहता समिति

भारत में पंचायती राज प्रणाली की पुनः शुरूआत 1959 में ''बलवन्त राय मेहता समिति'' की रिपोर्ट के आधार पर हुई। इसका गठन सन् 1957 में एन0डी0सी0 (नेशलन डेवलेप कौन्सिल) ने बलवन्त राय मेहता की अध्यक्षता में सामुदायिक परियोजनाओं एवं राष्ट्रीय विकास सेवाओं का अध्यन करने के लिए किया गया। जिसे यह दायित्व सौंपा गया किवह पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने तथा उन कारणों अवलोकन करें जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की संरचना तथा कार्य प्रणाली की सफलता में बाधक थी। मेहता समिति ने 1957 के अंत में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में कहा गया कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पंचायती राज प्रणाली को अविलम्ब प्रारम्भ किया जाना चाहिए। भारत में पंचायत राज प्रणाली का पुनः प्रारम्भ 1959 में इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर हुई। समिति ने त्रि–स्तरीय पंचायत राज प्रणाली की सिफारिश की। इस त्रिस्तरीय प्रणाली में जिला स्तर पर जिला परिषद् खण्ड परिषद, तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान रखा गया। इस प्रणाली का प्रारम्भ सर्वप्रथम राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश में हुआ। बाद में यह पूरे देश में लागू की गयी। पंचायती राज प्रणाली लागू होने के कुछ समय उपरान्त से ही यह अप्रभावी होने लगी। पंचायती राज व्यवस्था में आये अनेक अवरोधों को दूर करने के लिए मै अशोक मेहता समिति का गठन हुआ।

अशोक मेहता समिति

इस समिति का गठन दिसम्बर, 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। बलवन्त राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर स्थापित पंचायती राज प्रणाली में कई कमियां थी इन कमियों को दूर करने के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। अशाक मेहता समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंप दी। इस समिति ने सुझाव दिया की पंचायती राज संस्थान दो स्तरीय निकाय होगा, जो जिला स्तर और मण्डल स्तर पर संचालित होगा। नोडल क्षेत्र ब्लाक स्तर पर होगा तथा जिला परिषद् राज्य सरकार और ब्लाक स्तर संस्था, दोनों के लिए एक सलाहकार की भूमिका में होगा।

के0 जी0 वी0 राव समिति

इस समिति का गठन 1985 में जी0 वी0 के0 राव की अध्यक्षता में किया गया। इस समिति ने चार स्तरीय सुझाव दिये। समिति ने कहा कि राज्य स्तर पर राज्य परिषद्, जिला स्तर पर जिला परिषद्, मण्डल स्तर पर मण्डल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा होनी चाहिए।

डॉ0 एल0 एम0 सिन्धवी समिति

इस समिति का गठन डॉ0 एल0 एम0 सिन्धवी की अध्यक्षता में 1986 में हुआ था इस समिति ने सुझाव दिया कि इस व्यवस्था को संविधानिक संरचना प्रदान की जानी चाहिए।

Lyceum India Journal of Social Sciences || ISSN (Online): 3048-6513
Volume: 3 Issue: 7 || May 2026 || DOI: 10.5281/zenodo.20391433

थुंगन समिति

इस समिति का गठन 1988 में पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया। इस समिति ने सुझाव दिया कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया जाना चाहिए।

इन सभी समितियों की राय यही थी कि देश में पंचायती राज प्रणाली को सुदृढ़ बनाना अनिवार्य है। देश भर में लगभग 5 लाख 80 हजार गांव है। बढ़ते नगरीकरण व औधोगिकीकरण के बावजूद देश की तीन चौथाई जनता ग्रामों में निवास करती है। इस आंकड़ों के माध्यम से सरकार ने स्वीकार किया कि निर्धनता को दूर करने तथा देश में चंहुमुखि विकास के लिये पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक मान्यता देना देश की एक आवश्यकता है। इसके फलस्वरूप 24 अप्रैल 1993 को 73वां संवेधानिक संशोधन विधेयक लागू हुआ जो पंचायती राज प्रणाली के आधुनिक इतिहास में अविस्मरणीय है।

73वां संवेधानिक संशोधन

1990 के दशक के दौरान केंन्द्र सरकार द्वारा यह महसूस किया गया था कि स्थानीय स्वयं सरकार को बगैर संवेधानिक आधार के मजबूती प्रदान नही की जा सकती। इसके लिए केन्द्र सरकार ने 1992 में 73वां संवेधानिक संशोधन पारित किया। 20 अप्रैल को राष्ट्रपति ने सहमती प्रदान की। 24 अप्रैल 1993 से यह प्रभावी हो गया।

24 अप्रैल 1993 भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मार्ग चिन्ह था। क्योंकि इसी दिन संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा हासिल हुआ और इस प्रकार महात्मा गॉधी के स्वराज स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया गया था। 73वें संशोधन अधिनियम 1993 में निम्नलिखित प्रावधान किये गये। इस संशोधन से संविधान के भाग 9 में 16 नये अनुच्छेद शामिल किये गये जो की अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 (ण) तक है।

अनुच्छेद 243 इस अनुच्छेद में जिला, ग्राम सभा, पंचायत इत्यादि की परिभाषा का वर्णन किया गया है।

अनुच्छेद 243 (a) इस अनुच्छेद में ग्राम सभा के बारे में वर्णन किया गया है।

अनुच्छेद 243 (b) इस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन किया गया है।

अनुच्छेद 243 (c) इस अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना का वर्णन किया गया है।

अनुच्छेद 243 (d) इस अनुच्छेद में आरक्षण से सम्बन्धित व्यवस्था है।

अनुच्छेद 243 (e) इस अनुच्छेद में पंचायतों की अवधि, आदि के विषय में वर्णन किया गया है।

Lyceum India Journal of Social Sciences || ISSN (Online): 3048-6513
Volume: 3 Issue: 7 || May 2026 || DOI: 10.5281/zenodo.20391433

अनुच्छेद 243 (f) इस अनुच्छेद में सदस्यता के लिए निरर्हताओं का वर्णन किया गया है।

अनुच्छेद 243 (g) इस अनुच्छेद में पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और उत्तरदायित्व का वर्णन किया गया है।

अनुच्छेद 243 (h) इस अनच्छेद में पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियों और उनकी निधियों (पथ कर आदि) का वर्णन किया गया है।

अनुच्छेद 243 (i) इस अनुच्छेद में वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित आयोग के गठन के विषय में वर्णन किया गया है।

अनुच्छेद 243 (j) इस अनुच्छेद में पंचायतों की अवधि, आदि के विषय में वर्णन किया गया है।

अनुच्छेद 243 (k) इस अनुच्छेद में पंचायतों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था की है।

अनुच्छेद 243 (i) इस अनुच्छेद में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू के विषय में वर्णन किया गया है।

अनुच्छेद 243 (m) इस अनुच्छेद में इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना वर्णन किया गया है।

अनुच्छेद 243 (n) इस अनुच्छेद में विद्‌यमान विधियों और पंचायतों का बने रहने का वर्णन किया गया है।

अनुच्छेद 243 (o) इस अनुच्छेद में निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है।

पंचायत की संरचना

संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान की गयी है इस अधिनियम के माध्यम से स्थानीय स्वशासन व विकास की इकाईयों को एक पहचान मिली है। त्रि–स्तरीय पंचायत व्यवस्था में ग्राम पंचायत ग्राम विकास की पहली इकाई मानी जाती है। गॅाव के लोगों के सबसे नजदीक होने के कारण इसका अत्यधिक महत्व है।

ग्राम प्रधान, उप प्रधान व सदस्यों से मिलकर ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का चयन ग्राम सभा के सदस्य चुनाव के द्वारा करते हैं। अतः ग्राम सभा के सदस्यों से इसका सम्बन्ध होता है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के निर्देशन में ग्राम सभा के सदस्यों की समस्याओं के समाधान हेतु कार्य करती है।

ग्राम सभा

संविधान के तहत पंचायत के केवल तीन स्तर हो सकते है। ग्राम सभा पंचायती राज ढांचे का स्तर नही है। इसकी कोई अधिकारिक क्षमता नही है यह सुझाव देने वाले शरीर के रूप में कार्य करता है। ग्राम सभा किसी एक गॉव या पंचायत का चुनाव करने वाले गॉव के समूह की मतदाता सूची में शामिल संस्था है। गतिशील और प्रबुद्ध ग्राम पंचायतीराज की सफलता के केन्द्र में होती है। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में जो नाम दर्ज होते हैं उन व्यक्तियों को सामूहिक रूप में ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में दो बार होनी आवश्यक है। इस बारे में सदस्यों को सूचना बैठक से 15 दिन पूर्व नोटिस देनी होती है। ग्राम सभा की बैठक को बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान को है। जिला पंचायत राज अधिकारी या क्षेत्र पंचाायत द्वारा लिखित रूप से मांग करने पर अथवा ग्राम सभा के सदस्यों की मांग पर प्रधान द्वारा 30 दिनों के अन्दर होगी।

ग्राम पंचायत के कार्य व शक्तियॉ–

प्रत्येक स्तर पर पंचायतों के कार्य कलाप एवं दायित्वों की सूची तैयार की गयी है इस सूची के अन्तर्गत पंचायतों को 29 जिम्मेदारियां सुनिश्चित की गयी है। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा 29 विषय पंचायतों के अधीन किये गये है। जिसके लिए पृथक से 73वें संविधान संशोधन में 243जी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इस सूची में शामिल विषयों के अन्तर्गत आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और विकास योजनाओं को अमल में लाने का दायित्व पंचायतों का होगा। संविधान की 11वीं अनुसूची के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों की कुछ जिम्मेदारियों सुनिश्चित की गयी है प्रत्येक ग्राम पंचायत निम्नांकित कत्यों का सम्पादन निष्ठा पूर्वक करेगी। सूची के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को विभागों एवं विषयों के दायित्व सौपें गये हैं। पंचायत के कार्य दो प्रकार के होते हैं।

अनिवार्य कार्य

स्वच्छता, सरक्षण और जल निकासी, सार्वजनिक उपद्रव की रोकथाम, पेयजल, गॉव की सड़कों का निर्माण और रखरखाव, सार्वजनिक भवनों का निर्माण मरम्मत, जन्म और मरण का पंजीकरण, श्मशान और दफन के मैदानों का उद्घाटन व रखरखाव, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमा, वार्षिक बजट और विकास योजनाओं की तैयारी, मवेशी शेड, तालाब आदि के निर्माण और रखरखाव आदि। खेत वानिकी, इंधन और चारा, कत्ल घर, सार्वजनिक उधान व खेल के मैदान, कृषि, कुक्कट व मत्स्य पालन आदि।

विवेकाधीन कार्य

कृषि, पशुपालन और डेयरी विकास, मांमुली सिचाई, लघु उधोग, आवास और गैर पारम्परिक ऊर्जा, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, शिक्षा संस्कृति मामलों और विरासत, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि।

आय के स्त्रोत

एक ग्राम पंचायत का फंड राज्य के समेकित निधि के पैटर्न पर बनाया गया है ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त सभी धन जैसे– राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, जिला परिषद् द्वारा किये गये योगदान या अनुदान और कर, दरों, ऋ्ण, जुर्माना और दंड, मुआवजे, अदालत के रूप में पंचायत द्वारा प्राप्त सभी रकम, विक्री, आय और पंचायत सम्पत्ति आदि से आय उस फंड में जाती है। जिसे समय–समय पर गॉव के विकास में लगाया जाता है।

पंचायत समिति

पंचायत समिति भारत में मध्यवर्ती स्तर या स्थानीय स्वयं सरकार का तहसील स्तर है। आंध्रप्रदेश में इसे मण्डल प्रजा परिषद्, असम में अंकलिक पंचायत के नाम से जाना जाता है। बिहार झारखण्ड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उडीसा, पंजाब और राजस्थान में इसे पंचायत समिति के रूप में जाना जाता है। पंचायत समिति के पास नगर निगम, नगर पालिका, छावनी बोर्ड या अधिसूचित क्षेत्र को छोड़कर पूरे ब्लाक क्षेत्र पर इसका अधिकार होता है। आम तौर पर पंचायत समिति के क्षेत्र पर और आबादी के आधार पर 20 से 60 गॉव होते है। समिति के तहत औसत आबादी लगभग 80000 है, लेकिन यह सीमा 35000 से एक लाख तक भी हो सकती है। इस समिति का चुनाव पांच वर्षों के बाद होता है। इसके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव, चुने हुए सदस्य मिलकर करते है। जिनका कार्य काल अधिक से अधिक वर्षों का होता है।

कार्य एवं शक्तियॉ–

पंचायत समिति का मुख्य कार्य अपने अधिकार क्षेत्र के अन्दर विभिन्न पंचायतों को काम काज में सुधार के लिए सुझाव देने का कार्य करती है। समिति पर कृषि, भूमि सुधार और मृदा संरक्षण लघु सिचाई, जल प्रबन्धन और जल संसाधन, विकास, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट, मत्स्य पालन, खादी ग्राम और कुटीर के विकास की योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन की जिम्मेदरी है। उधोग, ग्रामीण आवास, कृषि वानिकी, लघु वन उत्पादन, इंधन और चारा, पुल घाट, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा, तकनिकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा, बाजार और मेले, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, कमजोर वर्ग के कल्याण, सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित अन्य कार्य जो राज्य सरकार द्वारा सौंपे गये हों, की जिम्मेदारी पंचायत समिति की होती है।

आय के स्त्रोत

जिला परिषद् से प्राप्त स्थानीय सेस, भू–राजस्व का अंश, व अन्य धन, कर, चुंगी, अधिभार और फीस से प्राप्त आय, सार्वजनिक घाटों, मेलों, हाटों तथा ऐसे ही अन्य स्त्रोतों से आने वाली आय ऐसे अनुदान या दान जो जिला परिषदों, ग्राम पंचायतों, अधिसूचित क्षेत्र समितियों, नगर पालिकाओं या न्यासों एवं संस्थाओं से प्राप्त आय, भारत सरकार और

राज्य सरकार से प्राप्त अंशदान या अनुदान या ऋृण सहित अन्य प्रकार की निधियां व अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋृण आदि।

जिला परिषद्–

पंचायती राज की सबसे ऊपरी संस्था जिला परिषद है। जिला परिषद ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों का मूलतः निति निर्धारण एवं मार्ग दर्शन का काम करती है। जिला परिषद का भी ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति की तरह अपना प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है। जिसका गठन लगभग 50 हजार की आबादी पर होता है। प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य पद पर एक–एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। प्रत्येक जिला परिषद की कार्यवधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्षों तक होगी। जिला परिषद की प्रथम बैठक जिला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में होती है। जिला परिषद के समक्ष रखे जाने वाले सभी विषयों पर निर्णय बहुमत से होता है। जिला परिषद की कार्यवाही अंकित करने और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की होती है।

कार्य और शक्तियॉ

सरकार द्वारा समय – समय पर यथा विनिर्दिष्ट स्तरों के अधीन जिला परिषद निम्न कार्य का सम्पादन करती है। जैसे कृषि, सिचाई, भूतल जल संसाधन एवंज ल समर विकास, बागवानी, सांख्यिकी, ग्रामीण विधुतीकरण, आवश्यक वस्तुओं का वितरण, भूमि संरक्षण विपणन, सामाजिक वानिकी, पशुपालन एवं गव्य विकास, लघुवन उपज, इंधन एवं चारा, मतस्य पालन, घरेलू एवं लघु उधोग, ग्रामीण सडकें एवं अन्तर्देशीय जल मार्ग, स्वास्थ्य एवं आरोग्य, ग्रामीण आवास, शिक्षा, सामाजिक कल्याण एवं कमजोर वर्गों का कल्याण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, सामाजिक सुधार कार्यं कलाप, संस्कृति एवं मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन, खेलकूद का प्रोत्साहन एवं ग्रामीण क्रीडागनों का निर्माण, ग्रामीण हाटों व बाजारों का अधिग्रहण व अनुरक्षण, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत को अनुदान प्रदान करना, पंचायत समितियों के बजट प्राकलन की जॉच एवं मंजूरी वह सभी विषय जो भारत के संविधान के ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित है।

आय के स्त्रोत–

सभी राज्यों के कानून अलग से जिला परिषद/जिला पंचायत कोष के लिए बजट प्रदान करते हैं। जो राज्य की समेकित निधि की तरह है। जिला परिषद की आय के स्त्रोतों में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुदान राशी, दान में प्राप्त राशी, पट्टे से प्राप्त राशी, पुल, घाट, मनोरंजन, मेले, हाट, आदि पर लगाए टोल, फीस, परिषद को सौपी भूमि का राजस्व, साथ ही यू0 पी0 पंजाब, मणिपुर, महाराष्ट्र, आदि बड़े राज्यों ने उन्हें किसी भी मामले पर कर लगाने का अधिकार प्रदान किया है।

उपसंहार–

पंचायती राज का सम्बन्धी ग्रामीण विकास से है। ग्रामीण विकास पर ही भारत का सम्पूर्ण विकास निर्भर है। अतः पंचायती राज की सफलता हेतु आवश्यक है कि समस्याओं का अधिक से अधिक समाधान किया जाये। नीतियॉ एवं कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर बनाये जायें व लागू किये जायें। साथ ही समस्याओं के प्रति हमारे राजनेता भी सचेत रहें। भारत गांवों का देश है। अतः गांवों की उन्नति एवं विकास पर ही भारत का सम्पूर्ण विकास संभव है। भारत के संविधान निर्माता भी इस तथ्य से पूर्णतया परिचित थे। इसलिए स्वतन्त्रा प्राप्ति और उसे स्थाई बनाने हेतु ग्रामीण शासन व्यवस्था की ओर अधिक ध्यान दिया गया। हमारे संविधान में भी यह निर्देश दिये गये हैं कि राज्य ग्राम पंचायतों के निर्माण के लिये आवश्यक कदम उठायेगा और उन्हें इतनी शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा जिससे कि वे ग्राम पंचायतें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य कर सके। हमारी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भी इस विचारधारा पर आधारित है कि शासन जनता के लिए हो तथा जनता की भी शासन के कार्यों में भागीदारी हो। भारत में यह अधिक से अधिक प्रयास किया जाता है कि ग्रामीण जनता की भी शासन कार्यों में अधिक से अधिक भागीदारी हो। पंचायतें हमारे राष्ट्रीय जीवन की रीढ़ है जिस पर सम्पूर्ण शासन व्यवस्था आधारित है। भारत में पंचायती राज पर का आरम्भ एवं एतिहासिक घटना कहा जा सकता है। पंचायती राज व्यवस्था में व्याप्त विष को नियन्त्रण में करने के लिए यह आवश्यक है कि वास्तविक सत्ता सम्पन्न लोकतांत्रिक स्थानीय संस्थाओं की स्थापना की जाये ताकि वर्तमान व्यवस्था के लोकतांत्रिक स्वरूप को लुप्त होने से बचाया जा सके।

संदर्भ सूची

1. भारत में न्याय पंचायतों का कार्य : बाराणसी जिला का केस स्टडी, एल0 एम0 सिंघवी, यंग एशिया प्रकाशन नई दिल्ली, 1977
2. ग्रास रूट राजनीति और पंचायती राज, शकुंतला शर्मा, दीप एंड दीप प्रकाशन, नई दिल्ली 1969
3. ग्रामीण भारत में सरकार, इल्तिजा खान, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बॉम्बे 1969
4. केरला में सामुदायिक विकास प्रशासन, के0एम0 पानिकर, एस0 चन्द। कंपनी प्रा0 लिमिटिड दिल्ली 1974
5. संशोधित शक्तियां और संशोधन, पारसदीवान, पेयूसी दीवान, दीप एंड दीप प्रकाशन नई दिल्ली 1997
6. पंचायती राज मैन्युअल एक सामाजिक ऐतिहासिक सह कानूनी परीपेक्ष्य, अनमोल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 1996

7. पंजाबी पंचायती राज अधिनियम पर एक टिप्पणी, गुरदयाल सिंह जैसवाल, भगत सिंह चावल, प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 1994–1998

8. कुरूक्षेत्र ग्रामीण विकास पर एक जर्नल, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, वाल्यूम 62 संख्या 3, जनवरी 2014

9. पंचातयी राज के लिए रोडमैप 2011–2016 अखिल भारतीय परिपेक्ष्य, पंचायतीराज मंत्रालय नई दिल्ली 2011

10. भारत का संविधान, भाग IX, 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992, अनुच्छेद 43जी

11. भारत में पंचायती राज एक प्रणालीः एक विश्लेषण, 19 ईबीड, अनुच्छेद 243 के0

Publisher's Note: *The views and opinions expressed in this article are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the publisher, editors, or the editorial board.*